संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियाँ कहते हैं। संसदीय समितियाँ वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं संसदीय समितियाँ एक प्रकार से 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती हैं

Much of the work of the Indian Parliament is done by the committees of the House, which are called Parliamentary Committees. Parliamentary Committees are an indispensable and integral part of the current system. Parliamentary Committees function as a kind of 'mini parliament'

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।*

This is the largest committee among the permanent committees of the Parliament. This committee is formed only in the Lok Sabha. It has a total of 30 members of the Lok Sabha, members of the Rajya Sabha are not included in it.*

सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्तमंत्री जान मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में हुआ था। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। अतः इसे 'स्थायी मितव्ययिता समिति' भी कहा जाता है।

This committee was first formed in 1950 on the recommendation of the then Finance Minister John Mathai. It recommends to stop government wasteful expenditure. Hence, it is also called 'Permanent Frugality Committee'.

प्राक्कलन समिति → स्थायी और वित्तीय समिति
Permanent and Financial Committee.

- यह संसद की सबसे बड़ी समिति है।
- इस समिति का गठन -1950 में हुआ।
- इस समिति का गठन LS के 30 सदस्यों से होता है।
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
- RS के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
- इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं।

लोक लेखा समिति The Public Accounts Committee

यह संसद की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से लिये जाते हैं।*

This is the most important and oldest financial committee of the Parliament. It was first constituted in 1921 under the Government of India Act 1919. This committee has a total of 22 members, out of which 15 members are taken from the Lok Sabha and 7 members are taken from the Rajya Sabha.*

लोकसभा अध्यक्ष, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है।

1967 से स्थापित परम्परा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इसका इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है। CAG को लोकलेखा समिति का मित्र व पथप्रदर्शक भी कहा जाता है

The Lok Sabha speaker nominates the chairman of the Public Accounts Committee. (According to the tradition established since 1967, a member of the opposition is made the chairman of this committee. Its tenure is one year. Its main objective is to bring the misuse and irregularities of public expenditure before the Parliament. CAG is also called the friend and guide of the Public Accounts Committee.

लोक लेखा समिति
Public Account committee

→ गठन 1919 के अधि० के अनुसार 1921 में किया गया।

→ संसद की स्थायी और वित्तीय समिति
→ संसद की सबसे पुरानी समिति (oldest comm. of Parliament)
→ सदस्य संख्या ⇒ 22 < 15 LS, 7 RS
⇒ सदस्यों का कार्यकाल - 1 वर्ष
⇒ 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य बनेगा।
⇒ इसके समिति के अध्यक्ष LS अध्यक्ष द्वारा मनोनीत (Nominate) किया जाता है।

//

⇒ इस समिति मित्र और मार्गदर्शक (Friend & Guide) की भी कहा जाता है।

Note:- प्रक्षालन समिति और लोक लेखा समिति को इनके कार्यों के कारण "जुड़वा बहन" कहा जाता है।

सरकारी उपक्रम समिति (The Committee on Public Undertakings)

सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर उक्त समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

Firstly in 1964, Krishna Menon Committee was formed, on whose recommendation the above committee was formed. This committee has a total of 22 members. Out of which 15 members are from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha, its tenure is of one year. Lok Sabha Speaker appoints one of the Lok Sabha members as the chairman of the committee.

राज्य विधान मण्डल The State Legislature

संविधान 6, अनु. 168-212 राज्यों के विधानमण्डल के बारे में है। अनु. 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

Part 6 of the Constitution, Articles 168-212 deals with the state legislature. Article 168 states that each state will consist of two houses and other states will consist of one house.

Art. 168 → राज्य विधानमंडल का निर्माण (Formation of State legislature) →
① विधानसभा (Legislative Assembly)
② विधानपरिषद (Council)
③ राज्यपाल (Governor)

केवल 6 राज्यों में तीन अंग वाला और 2 सदनों वाला विधान मंडल है।

⇒ वर्तमान विधानपरिषद् केवल 6 राज्यों में हैं।

(1) U.P.
(2) बिहार
(3) कर्नाटक
(4) महाराष्ट्र
(5) आंध्र प्रदेश
(6) तेलंगाना

⇒ 22 राज्यों में (इन राज्यों के अलावा) ⇒ विधानमंडल ⟨ विधानसभा (LA)
राज्यपाल (Governor)

Art. 169 ⇒ विधानपरिषद् का सृजन (Create) और अंत करना संसद् की शक्ति है।

⇒ विधानपरिषद् (LC) → सृजन / अंत

⇒ विधेयक (Bill) → उस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा में पेश (Introduced) जहां इसका सृजन / अंत करना है।

⇒ विधेयक पर चर्चा (Debate on bill)

⇒ पारित (Pass) ⇒ विशेष बहुमत (2/3 Majority)

└⇒ संसद के पास जायेगा।

↳ साधारण बहुमत वेसे संसद द्वारा पारित करके उस राज्य में जहां विधानपरिषद् को बनाना है या नष्ट करना है, कर दिया जायेगा।

विधानपरिषद् का अंत तो किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में कुल 6 राज्यों यथा; उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तथा तेलंगाना द्वित्सदनीय विधानमण्डल हैं। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनु. 169 के अन्तर्गत संसद को है।

At present, a total of 6 states viz. Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana have bicameral legislature. Under Article 169, the Parliament has the right to establish or abolish the Legislative Council in the states.

यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है

If the Legislative Assembly of the concerned State passes a resolution to this effect by a majority of its total membership and a two-thirds majority of the members present and voting

तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है।

So the Parliament can establish or abolish the Legislative Council by making a law to that effect through the process of ordinary law making. Making such a law is not considered as a constitutional amendment.

(विधानसभा (Legislative Assembly)

↳ Art. 170 -> विधानसभा का गठन
(Composition of LA)

=> अधिकतम सदस्य (Maximum members) => 500

=> न्यूनतम सदस्य (Minimum members) => 60

↳ अपवाद (exception) => गोवा => 40
मिजोरम => 40
सिक्किम => 32
पुदुचेरी => 30 -> U.T's

=> सबसे बड़ी विधानसभा U.P. की है।

विधानपरिषद् => केवल 6 राज्यों में

विधानसभा => 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश
(1) दिल्ली
(2) पुदुचेरी
(3) J&K

संरचना या गठन (Composition)

राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी) परन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुदुचेरी इसके अपवाद हैं जिनकी विधान सभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40, 40, तथा 30 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की (403) है।*

The state will consist of a maximum of 500 and a minimum of 60 members elected by direct election from territorial constituencies) but the exceptions are Sikkim, Mizoram, Goa and Puducherry whose legislative assemblies have a number of members of 32, 40, 40, and 30 respectively. The largest assembly is that of Uttar Pradesh (403).*

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है

It is done through direct election system. Election of state legislative assemblies is conducted by the Election Commission of India.

~~84वें संविधान संशोधन~~ 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा

84th Constitutional Amendment Act 2001 ⇓

LS/VS/Rs/VP की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक निश्चित कर दी गयी है।